


10/06/26

पगावली भाज पेश दुई प्रथी व उनके वकील
अनुपस्थित। मूल वाद का निस्तारण है
युक्त है मूल वाद के निस्तारण होने से
उक्त प्रथी पत्र को अलग से चलाए
जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः।
मूल वाद के साथ-साथ उक्त प्रथी पत्र
को इसी स्तर पर प्रारिज किया जाता है।
पगावली केवल शुमात एकल दाखिल
दफतर है एवं नंबर से कम है।


सहायक कमिश्नर
(SDO) चौहदन